नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर 6 नौएडा

सार्वजनिक सूचना

नौएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्डों के समस्त आवंटियों को सूचित किया जाता है कि आवासीय परिसम्पत्तियों के पट्टा प्रलेख में उल्लिखित भवन निर्माण हेतु नियत समयावधि के उपरान्त 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, एवं उनके द्वारा भवन निर्माण पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसे सभी आवंटियों को सशुल्क समय विस्तार प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए दिनांक 31.03.2023 तक एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

भविष्य में दस वर्ष की समयवृद्धि के उपरान्त अति विशिष्ट परिस्थितियों में मूल आवंटन दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष समयवृद्धि शुल्क लेते हुए अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि (कुल 12 वर्ष) हेतु समयवृद्धि प्रदान की जायेगी। 12 वर्ष की समयवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात भवन नियमावली के प्राविधानो के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण न करा पाने की स्थिति में पट्टा धारकों के पट्टा प्रलेख का पर्यावसान कर दिया जायेगा।

विशेष कार्याधिकारी
आवासीय भूखण्ड विभाग
नौएडा

Scanned with CamScanner